तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/26	पत्रा. पेश। वादी द्वारा धारा 183 RT Act के तहत दावा पेश किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण उसकी आराजी ग्राम कँवरपुरा पटवार खेड़ली तहसील रामगंजमंडी खसरा नं. 587 रकबा 0.32 हे0 पर कब्जा करे हुए है। अत: इन्हें बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जाए व मुनाफे के रूप में 2 लाख का सालाना मुनाफा दिलाया जाए। प्रतिवादीगण के विरुद्ध 15/9/25 को एक तरफा किया जा चुका है। जवाब के अभाव में तनकी नहीं बनी। न ही साक्ष्यवादी पेश किए गए। वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे उसके कथन की पुष्टि हो सके। अत: साक्ष्य के अभाव वादी के दावे की पुष्टि नहीं हो पा रही। अत: वाद वादी निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	